

यूनियन ऑफ इंडिया एवं एक अन्य

बनाम

श्रीजी कलर कैम इंडस्ट्रीज

(सिविल अपील सं. 5643/2008)

सितंबर 15,2008

[डॉ. अरिजीत पासायत और डॉ मुकुंदकम शर्मा , न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 - धारा 11 बीबी - अधिनियम और नियमों के तहत देय राशि राशि की देरी से वापसी के लिये ब्याज - के लिये पात्रता - अभिनिर्धारित : तथ्यों पर, निर्धारिती 12 अप्रैल, 2004 से 26 अगस्त, 2004 तक ब्याज का हकदार है - समान ब्याज के लिये निर्धारिती का दावा, हालांकि, तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि निर्धारिती ने इसके लिये कोई लिखित मांग नहीं की - केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 ' नियम 173 एल.

प्रतिवादी ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अंतर्गत देय राशि की वापसी का दावा किया। दावे को सहायक आयुक्त और आयुक्त ने खारिज कर दिया, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने इसे बरकरार रखा। ने देय राशि की वापसी का दावा किया।

बाद में प्रतिवादी को 27 अगस्त, 2004 को रिफंड मंजूर कर दिया गया। इससे पहले 12 जनवरी, 2004 को, प्रतिवादी ने रिफंड में देरी के लिये वैधानिक ब्याज का दावा करते हुये आवेदन दायर किया था। उच्च न्यायालय ने 9 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया पहले दिन से जिस पर सहायक आयुक्त ने रिफंड की प्रार्थना खारिज कर दी थी।

व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि ब्याज के लिये आवेदन की तारीख से तीन महीने के बाद ही ब्याज देय हो जाता है। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा न्यायसंगत हित के दावे का भी विरोध किया।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11बीबी (1) के संदर्भ में प्रतिवादी-निर्धारिती 12 अप्रैल, 2004 से 26 अगस्त, 2004 तक ब्याज का हकदार है। जहां तक न्यायसंगत आधार पर ब्याज के दावे का संबंध है, इसके लिये लिखित मांग अनिवार्य है। मौजूदा मामले में ऐसी कोई लिखित मांग नहीं की गई। [पैरा 9,10] [507-सी एंड डी]

मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर और अन्य बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली एवं अन्य, [ 1995 (6) एस. सी. सी. 396] और क्लैरियंट इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 2004 (8) एस. सी. सी. 524 - पर भरोसा व्यक्त किया।

सैंडविक एशिया लिमिटेड बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स - I, पुणे एवं अन्य, [2006 (2) एस. सी. सी. 508] - संदर्भित किया

#### न्यायिक निर्णय संदर्भ

2006 (2) एस. सी. सी. 508 संदर्भित किया पैरा 3

1995 (6) एस. सी. सी. 396 भरोसा व्यक्त किया पैरा 7

2004 (8) एस. सी. सी. 524 भरोसा व्यक्त किया पैरा 8

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 5643/2008

(एस. सी. ए. सं. 1315/2006 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 3.3.2006 से)

नरेश कौशिक, आशा जी. नायर और बी. कृष्ण प्रसाद, अपीलार्थी के लिये।

दयान कृष्णन, अंकुल सहगल, बीना गुप्ता और गौरव सिंह प्रतिवादीगण के लिये।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत, पसायत, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में चुनौती गुजरात उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले को दी गई है, जिसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में 'अधिनियम') और केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, (संक्षेप में 'नियम') के तहत देय राशि की कथित विलंबित वापसी के लिये प्रतिवादी को ब्याज देने का निर्देश दिया गया है।

3. पृष्ठभूमि के तथ्य निर्विवाद हैं और अनिवार्य रूप निम्न प्रकार हैं

प्रतिवादी द्वारा 2,50,494.31 रुपये के रिफंड के लिये सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क डिवीजन- 4 , वडोदरा के समक्ष रिफंड का दावा किया गया था। नियमों के नियम 173 एल के तहत दायर किये गये आवेदनो को सहायक आयुक्त द्वारा दिनांक 24.7.1991 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने अपील आयुक्त, मुंबई के समक्ष अपील की, जिन्होंने मामले को नये सिरे से विचार के लिये भेज दिया। प्रतिवादी को सुनने के बाद, उक्त आवेदन फिर से खारिज कर दिये गये । प्रतिवादी ने दिनांक 21/5/1996 को अपील आयुक्त के समक्ष फिर से अपील की। जिसे दिनांक 31/8/1998 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने सीमा शुल्क और

स्वर्ण नियंत्रण अपीलिय न्यायाधिकरण पश्चिम क्षेत्रीय पीठ (संक्षेप में 'सी. ई. जी. ए. टी.')

 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दिनांक 25/11/2003 के आदेश द्वारा सीईजीएटी ने अपील को स्वीकार कर लिया और अन्य बातों के साथ साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :

"मुझे नियम 173 एल के तहत रूपये 2,50,454/- की कुल राशि के रिफंड के दावों को खारिज करने का कोई कारण नहीं मिला। अपीलार्थी को बिना किसी देरी के इसका भुगतान करना चाहिये।"

प्रतिवादी ने 12/1/2004 को सहायक आयुक्त के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर वैधानिक ब्याज सहित राशि की वापसी का अनुरोध किया जो 26/8/1995 से देय हो गया। आदेश दिनांक 27/8/2004 द्वारा उपायुक्त ने 2,50,394/- रूपये का रिफंड स्वीकृत किया।

दिनांक 27/8/2004 के उक्त आदेश के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें ब्याज देने की प्रार्थना की गई थी। उच्च न्यायालय ने 24/7/1991 से ब्याज देने का निर्देश दिया यानि पहले दिन से जब सहायक कलेक्टर ने धन वापसी की प्रार्थना खारिज कर दी थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि अधिनियम की धारा 11 बीबी दिनांक 26/5/1995 से लागू की गई थी। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 11 बीबी के प्रावधानों के अनुसार ब्याज देने का निर्देश दिया। हालांकि मूल आदेश पैरा 12 और 17 में यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी को 21/5/1996 से दो महीने के भीतर ब्याज की राशि प्राप्त करने का अधिकार था और 21-5-96 से शुरू होने वाली तीन महीने की अवधि के लिये प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार था। इसे बाद में 21/5/1996 के लिये दिनांक 24/7/1991 को प्रतिस्थापित करते हुये दिनांक 15/6/06 के आदेश द्वारा सही किया गया। दूसरे शब्दों

में, उच्च न्यायालय के अनुसार प्रतिवादी 24/7/1991 से 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का हकदार था, भले ही धारा 11 बीबी को शामिल करने की तारीख कुछ भी हो। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से इस न्यायालय के निर्णय सैंडविक एशिया लिमिटेड बनाम कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स-1, पुणे एवं अन्य, [2006 (2) एस. सी. सी. 508] पर भरोसा व्यक्त किया।

4. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया है कि धारा 11 बीबी की शुरुआत के बाद ब्याज देने से संबंधित स्थिति स्पष्ट हो गई है और पहली तारीख से राहत देना संभव हो गया है। रिफंड के लिये आवेदन खारिज कर दिया गया था, इसे कायम नहीं रखा जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 11 बीबी स्थिति स्पष्ट करती है कि आवेदन की तारीख से तीन महीने के बाद ही ब्याज देय होगा। अधिनियम की धारा 11(डी) का भी संदर्भ दिया गया है। यह इंगित किया गया है कि प्रतिवादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जानी चाहिये थी क्योंकि नियम 173 एल अस्तित्व में नहीं था और निर्धारिती की प्रार्थना धारा 11 बीबी के संदर्भ में नहीं थी।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्थिति में वैधानिक हित के मामले में किसी भी न्यायसंगत हित का प्रश्न लागू नहीं होता है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने कहा कि न्यायसंगत ब्याज भी देय है। धारा 11 (डी) (1) और 11 (डी) (2) के परंतुक के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि जो आवेदननियम 173 एल के संदर्भ में दायर किया गया था उसे धारा 11 (डी) के तहत एक आवेदन माना जाना चाहिये । बताया गया है कि उपायुक्त ने अपने आदेश में पहले के रिफंड दावो का संदर्भ दिया है।

7. मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मोदीनगर और अन्य बनाम कमिशनर ऑफ इनकम टैक्स, दिल्ली एवं अन्य [1995 (6) एस. सी. सी. 396] में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने वैधानिक ब्याज के अनुदान से संबंधित स्थिति से निपटा। पैरा 58 और 59 में अन्य बातों के साथ साथ यह निम्नानुसार पाया गया :

"58. यह तर्क, जिसे अब अपील के तहत कुछ मामलों में बरकरार रखा गया था, यह है कि यदि निर्धारित भुगतान की गई अग्रिम कर की राशि पर ब्याज प्राप्त नहीं करता है, जब अग्रिम भुगतान की गई राशि अपीलीय आदेश के अनुसार वापस प्रदान कर दी जाती है, तो यह असमान होगा। यह इक्विटी का सवाल नहीं है। कानून द्वारा प्रदान किये गये को छोड़कर रिफंड पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है। धारा 214 के तहत अग्रिम कर की अतिरिक्त राशि पर ब्याज का भुगतान कर के भुगतान की तारीख से नहीं किया जाता है न ही इसका भुगतान रिफंड की तारीख तक किया जाता है। इसी भुगतान केवल नियमित निर्धारण की तारीख तक किया जाता है। स्रोत पर कटौती द्वारा एकत्रित कर की अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। धारा 244 (1-ए) की शुरुआत से पहले निर्धारित कर के भुगतान की तारीख से आदेश की तारीख तक कोई ब्याज पाने का हकदार नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप कर की अतिरिक्त वसूली वापसी योग्य हो गई। धारा 243 या धारा 244 के तहत ब्याज केवल तभी देय था जब रिफंड किया गया हो। रिफंड की तारीख तक निर्धारित अवधि के भीतर नहीं किया गया। लेकिन, यदि निर्धारण आदेश अपील में कम कर दिया गया था, तो निर्धारण आदेश के

अनुसार कर के भुगतान की तारीखसे अपीलीय आदेश की तारीख तक कोई ब्याजदेय नहीं था।

59. इसलिये, धारा 214 या अधिनियम की किसी अन्य धारा की व्याख्या इस धारणा पर नहीं की जानी चाहिये कि जब भी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में कर प्राधिकरण द्वारा रखी गई राशि वापसी योग्य हो जाती है किसी बाद की कार्यवाही के परिणाम पर तो ब्याज का भुगतान करना पड़ता है।"

8. क्लैरिफाइंग इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम सिक्वोरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 2004 (8) एस. सी. सी. 524 में इसे इस प्रकार देखा गया :

"30. ब्याज एक समझौते या वैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में दिया जा सकता है। इसे कानून की शक्ति वाले उपयोग या व्यापार के कारण या न्यायसंगत विचारों पर भी प्रदान किया जा सकता है। क्षतिपूर्ति के रूप में ब्याज नहीं दिया जा सकता, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां देय धन गलत तरीके से रोक दिया गया है और उसके लिये न्यायसंगत आधार है, जिसके लिये लिखित मांग अनिवार्य है।"

31. किसी समझौते या वैधानिक प्रावधान या व्यापारित उपयोग के अभाव में, देय ब्याज केवल बाजार दर पर हो सकता है। इस तरह का ब्याज ऐसे न्यायसंगत क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों की समग्रता स्थापित होने पर देय है। (देखें- दिल्ली नगर निगम बनाम सुशीला देवी [1999 (4) एस. सी. सी. 317], एस. सी. सी. पैरा 16) "

9. जैसा कि ऊपर उल्लिखित पैरा 30 में देखा गया है, यदि ब्याज का दावा न्यायसंगत आधार पर पर है तो उसके लिये लिखित मांग अनिवार्य है।

10. मौजूदा मामले में स्वीकृत रूप से ऐसी कोई लिखित मांग धारा 11 बीबी (1) के संदर्भ में नहीं की गई है, प्रतिवादी-निर्धारिती 12/4/2004 से 26 अगस्त, 2004 तक ब्याज का हकदार है। मात्रा की गणना की जायेगी और राशि चार सप्ताह की अवधि के भीतर अदा की जायेगी। उच्च न्यायालय के आदेश को तदनुसार संशोधित किया जाता है और अपील को उपरोक्त विस्तार तक स्वीकार किया जाता है। कोई लागत नहीं।

बी.बी.बी.

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।



यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है ।

**अस्वीकरण** - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।